न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट)

पील संख्याः–33 / 2019
.सी.एम.एस .संख्याः–2019 / 00079

उनवान

1. गोपाल पुत्र रामजीलाल जाति ब्राम्हण निवासी उदेई खुर्द तहसील बजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

....अपीलांट।

बनाम

1. लैण्ड होल्डर सरकार जरिये तहसीलदार जी बजीरपुर।
2. हरिप्रसाद पुत्र श्रीधर जाति ब्राहम्ण निवासी उदेई खुर्द (फौत)
   2 / 1. सुमेर पुत्र स्व0 हरिप्रसाद
   2 / 2. रामोली बेवा स्व हरिप्रसाद (मृतक)
   2 / 3. कमला पुत्री हरिप्रसाद
   2 / 4. राजीव पुत्र स्व0 सुरेश पोत्र हरिप्रसाद
   2 / 5. संजीव पुत्र स्व0 सुरेश पोत्र हरिप्रसाद
   2 / 6. सरोज बेवा स्व0 सुरेश पुत्र वधू हरिप्रसाद

   समस्त जातियान ब्राहम्ण निवासी उदेई खुर्द तहसील बजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

.....रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित।

––:: निर्णयः:––

दिनांकः–31.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में दायर वाद पत्र संख्या 24 / 2008 बउनवान गोपाल बनाम लैण्ड होल्डर वगैरह में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 09.04.2019 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादी मृतक सुगन पुत्र बाली जाति ब्राहम्ण निवासी छोटी उदेई का नजदीकी रिश्ते मे पोता लगता है। सुगन के कोई संतान नही होने से अपने जीवनकाल मे जरिए वसीयतनामा व बख्सीसनामा भूमि ख0 नंबर 332 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा बारानी दोयम, 422 रकबा एक बीघा बारानी दोयम वाके उदेई खुर्द व खसरा नंबर 270 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा नहरी प्रथम, 304 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा नहरी प्रथम बंजड डौल व खसरा नंबर 323 तादारी 5 बीघा 15 बिस्वा दोयम, खसरा नंबर 338 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा तालाबी वाके उदेईखुर्द के अपने 1/3 हिस्सा व खसरा नंबर 269 रकबा 01 बीघा 302 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, 339 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 412/2 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 281 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा अलीफ बंजड स्थित उदेई खुर्द का 1/2 हिस्सा वादी गोपाल को दे दी। सेटलमेंट मे पूर्व के ख0 नं0 332 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा का नवीन ख0 नं0 812 रकबा 10 एयर, ख0 नं0 813 रकबा 23 एयर कुल रकबा 33 एयर बनाया है। वादी को दिनांक 19.12.07 को पटवार हल्का द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त आराजीयात सुगन के नाम खाते मे दर्ज है। तब वादी द्वारा यह वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात वादी के नाम दर्ज रिकार्ड की जावे। प्रतिवादी संख्या 02 की और से काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि वादी के हक मे किया गया बख्सीसनामा फर्जी है। प्रतिवादी को उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अदालत मातहत ने दिनांक 09.04.2019 को निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादी का वाद पत्र तथा प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड की पूर्णत अनदेखी कर पारित किया हैं। वाद पत्र मे वर्णित कायम तनकीयात संख्या 01, 02, 03 अपीलांट/वादी के हक मे पूर्णतः साबित होने के उपरान्त भी अदालत मातहत द्वारा उक्त दस्तावेजो की पूर्णतः अनदेखी करते हुये वादी का दावा खारिज करने मे कानूनी भूल की है। आगे कथन किया कि मातहत अदालत ने ने तनकी के निर्णय मे स्वयं ने माना है कि असल बख्सीशनामा प्रदर्श–4 रजिस्टर्ड दस्तावेज है व इनके निरस्त होने संबंधित कोई प्रमाण पत्रावली पर प्रतिवादी ने पेश नही किये हैं। इसके उपरान्त भी मातहत अदालत ने वादी का दावा खारिज करने मे कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2019 को अपास्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मातहत अदालत ने ने तनकी के निर्णय मे स्वयं ने माना है कि असल बख्सीशनामा प्रदर्श–4 रजिस्टर्ड दस्तावेज है व इनके निरस्त होने संबंधित कोई प्रमाण पत्रावली पर प्रतिवादी ने पेश नही किये हैं। जिस से स्पष्ट है अपीलांट ही उक्त आराजीयात का हकदार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2019 निरस्त की जावे।

6. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया।

7. पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों के अवलोकन से जाहिर आया कि अदालत मातहत ने कुल 07 तनकीयात कायम किए और अदालत मातहत द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किया। अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 01 का विवेचन सही नही किया क्योंकि पंजीबद्व बख्सीसनामा व वसीयतनामा स्वतंत्र साक्ष्य से साबित नही करवाए जाने से तनकी नंबर 01 विरूद्व वादी निर्णित की गई है।

जबकि सही विवेचन इस प्रकार है कि – यह निर्विवाद सत्य है कि बख्सीसनामा व वसीयतनामा विधिक रूप से पंजीबद्व है। पंजीबद्व दस्तावेजों की मूल प्रति अदालत मातहत की पत्रावली मे शामिल मिसल है। अदालत मातहत द्वारा इन पंजीबद्व दस्तावेजो के होने के बावजूद भी इनकी ताईद स्वतंत्र गवाहों के आधार पर करवाए जाने की विवेचना की गई है जो अविधिक है, एवं केवल इसी आधार पर तनकी संख्या 01 अपीलांट/वादी के विरूद्व पारित की है जो अपास्त योग्य है। तनकी संख्या 01 के साक्ष्य मे पंजीबद्व बख्सीसनामा व वसीयतनामा होने के कारण और उनकी मूल प्रति अदालत मातहत की पत्रावली मे संलग्न होने से इसको स्वतंत्र साक्ष्यों से साबित करवाये जाने की आवश्यकता ही नही है। इस कारण यह तनकी अपीलांट/वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है। तनकी नंबर 01 वादी के पक्ष मे निर्णित होने से अन्य तनकीयो की विवेचना की आवश्यकता नही रह जाती है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 24/2008 बउनवान गोपाल बनाम लैण्ड होल्डर वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2019 को "वादपत्र की हद तक" अपास्त किया जाता है। अपीलांट/वादी को साबिक ख0 नं0 332 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा का नवीन ख0 नं0 812 रकबा 10 एयर, ख0 नं0 813 रकबा 23 एयर कुल रकबा 33 एयर वाके ग्राम उदेई खुर्द मे स्थित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट के नाम अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 31.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीणा) 31.7.23
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner